

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/70160/CHN/CHANDAULI/388/CFO**दिनांक : **10-04-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **BPS PUBLIC SCHOOL** पता **ARAZI NO 963 964 965 1020, MAUZA BHARTHI KAMRAUR NAUBATPUR, CHANDAULI** तहसील - **CHANDAULI** प्लॉट एरिया **6897.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **7650** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BPS PUBLIC SCHOOL	BPS PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में		21.20 मीटर

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **15-05-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AMIT SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-05-2023** से **14-05-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **BPS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **BPS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए । 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है । 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है । 4-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनुपलब्ध एवं अकार्यशील पाये जाने पर एन0ओ0सी0 निरस्त समझी जायेगी। 5- नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 व शासनादेश संख्या- 18/छः-पु0-8-2022/905 (34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है

।"

Z

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI**

E8AAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6FB5

15-05-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.